फाइल सं. एन-11013/22/2015-एफडी

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

(राजकोषीय अंतरण प्रभाग)।

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 16.01.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु गठित समन्वय समिति की दिनांक 27 दिसंबर, 2017 को आयोजित 5वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2017 को आयोजित समन्वय समिति की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

(आर शिवकुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफ़ैक्स: 011-23753812

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,

1. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्य/प्रतिभागी।
2. सभी 26 राज्यों के प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग, ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रति:

1. एसपीआर के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
2. एएस (बीपी) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
3. संयुक्त सचिव (एसकेपी) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
4. निदेशक (एफडी) के निजी सचिव

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 27 दिसंबर, 2017 को आयोजित समन्वय समिति, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

चौदहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 को वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय (एम ओ पी आर) द्वारा गठित समन्वय समिति की 5वीं बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एस पी आर) की अध्यक्षता में दिनांक 27 दिसंबर, 2017 को पंचायती राज मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

2. समिति द्वारा 14 फरवरी, 2017 को आयोजित चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि उस पर ऐक्शन टेकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात की गई।।

3. एसपीआर ने अपनी शुरुवाती टिप्पणियों में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नई निष्पादन अनुदान (पी जी) योजना तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य/ ग्राम पंचायतें (जी पी) पारदर्शिता, योजना तथा खुले में शौच मुक्त (ओ डी एफ) और बाल टीकाकरण जैसे बुनियादी एचडीआई कारकों को अंगीकृत करें। उन्होंने यह भी बताया कि जबकि पंचायतों के खातों में बड़ी मात्रा में निधियां प्रवाहित हो रही हैं, मगर सरकार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन निधियों के उपयोग के तरीके को लेकर बहुत चिंतित है। इस संबंध में, उन्होंने दिशानिर्देशों में दिए गए उच्च स्तरीय निगरानी समिति (एच एल एम सी) जैसे तंत्र के महत्व पर बल दिया, और यह कहा कि उनका गठन किया जाना चाहिए और चौदहवें वित्त आयोग के निधियों के उचित उपयोग की निगरानी हेतु नियमित रूप से बैठकें बुलाई जानी चाहिए। एचएलएमसी द्वारा ग्राम पंचायतों को उचित मार्गदर्शन और समर्थन देने की आवश्यकता है, अन्यथा ये संस्थाएं अनुदानों को उचित और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय (एमओएफ)/मुख्य आर्थिक सलाहकारों ने भी चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग के संबंध में जानकारी मांगी है।

4. एसपीआर ने यह भी बताया कि सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया है और पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में अनुदान हेतु आयोग के लिए एक ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया शुरु कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट तथा अनुदान जारी करने से जुड़ी शर्तों के बारे में सकारात्मकताओं और नकारात्मकताओं का आकलन करें और तदनुसार इस मंत्रालय को ज्ञापन में शामिल करने के लिए इनपुट प्रस्तुत करें। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्य के पंचायती राज मंत्रियों और विभिन्न राज्य वित्त आयोगों (एस एफ सी) के अध्यक्षों एवं सदस्यों का एक सम्मेलन भी आयोजित करने जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जी पी डी पी) के संबंध में यह टिप्पणी की गई कि वर्तमान में ऐसी योजनाएं मात्र दिखावे जैसी हैं क्योंकि वे स्थानीय आबादी की आवश्यकता को परिलक्षित नहीं करती हैं। इस संबंध में राज्य को योजनाओं का मसौदा तैयार करने में सहायता हेतु स्थानीय स्तर पर शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों और व्याख्याताओं की सहायता लेने पर विचार करना चाहिए।

5. संयुक्त सचिव (एस के पी) द्वारा कार्यसूची मदों पर एक प्रस्तुति देने के बाद, समिति को यह जानकारी दी गई कि:

(क) बुनियादी अनुदान जारी करने की स्थिति:

- वित्त वर्ष 2015-16 के लिए - अनुदानों की पहली और दूसरी किस्तें सभी 26 राज्यों को जारी कर दी गई हैं।
- वित्त वर्ष 2016-17 के लिए - पहली किस्त 25 राज्यों को जारी कर दी गई है, सिवाय जम्मू और कश्मीर के जहाँ विधिवत रूप से निर्वाचित पंचायतें नहीं हैं।
- दूसरी किस्त 21 राज्यों को जारी कर दी गई है, मगर जम्मू-कश्मीर को ऊपर उल्लिखित कारणों से तथा अरुणाचल प्रदेश, असम और पंजाब राज्यों द्वारा पिछली किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) जमा नहीं कराने के कारण यह किस्त जारी नहीं की गई। गोवा के लिए वित्त वर्ष 2016-17 हेतु दूसरी किस्त जारी करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की अनुशंसा वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है।
- वित्त वर्ष 2017-18 के लिए - ऊपर बताए गए कारणों से अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू-कश्मीर और पंजाब को छोड़कर, 20 राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। मणिपुर से विलंब अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज के भुगतान के बाद संशोधित उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) जमा करने का अनुरोध किया गया है।
- दूसरी किस्त 11 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड को जारी की गई है। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के संबंध में किस्त जारी करने के लिए अनुशंसा वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है।

(ख) निष्पादन अनुदान की स्थिति

- वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, 25 राज्यों (बिहार को छोड़कर; जो स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करता है) को निष्पादन अनुदान जारी कर दिया गया है।

समिति ने बुनियादी अनुदान और निष्पादन अनुदान (2016-17) जारी करने की उपर्युक्त स्थिति को नोट किया और अगली देय किस्त जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई करने का सुझाव दिया। **(कार्रवाई पंचायती राज मंत्रालय/राज्य)**

6. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान की अनुशंसा पर विचार - समिति को सूचित किया गया कि पंचायती राज मंत्रालय ने नई निष्पादन अनुदान (पीजी) योजना को दिनांक 29 सितंबर, 2017 को प्रसारित किया यह यह अनुरोध किया कि अधिसूचना जारी की जाए और प्रस्ताव 31 अक्टूबर, 2017 तक इस मंत्रालय के विचारार्थ भेजा जाए। इस संबंध में, निष्पादन अनुदान योजनाओं की अधिसूचना दस राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड,

महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) से प्राप्त हुई है। तथापि, पीजी योजना मापदंडों का मूल्यांकन केवल त्रिपुरा से प्राप्त हुआ है।

समिति ने अधिसूचनाओं के विवरणों पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

- त्रिपुरा राज्य के मामले में, राज्य सरकार द्वारा पीजी योजना की अधिसूचना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना के अनुपालन में है। राज्य ने मूल्यांकन सारांश भी योजना के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हर तरह से ठीक पाया गया है। तदनुसार, यह सुझाव दिया गया कि राज्य को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने कीअनुशंसा की जा सकती है। (**कार्रवाई-एमओपीआर**)
- छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, मणिपुर और महाराष्ट्र राज्यों के मामले में यह देखा गया है कि राज्यों द्वारा अधिसूचित निष्पादन अनुदान योजनाएं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना के पूर्ण अनुपालन में हैं। तथापि, इन राज्यों ने अपना मूल्यांकन सारांश अभी तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, समिति ने छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, मणिपुर और महाराष्ट्र राज्यों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा सैद्धांतिक रूप से की। तथापि, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को अंतिम अनुशंसा निर्धारित प्रारूप में मूल्यांकन सारांश प्राप्त होने और जेएस (एफडी) की अध्यक्षता वाली अनुशंसा समिति द्वारा सही रूप में सत्यापित किए जाने के पश्चात की जाए। (**कार्रवाई-संबंधित राज्य/ पंचायती राज मंत्रालय)**
- हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के मामले में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गईं:

(i) हिमाचल प्रदेश:

- पीजी योजना के मूल्यांकन मापदंडों को राज्य द्वारा पीजी योजना की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया हैं।

(ii) तमिलनाडु:

- यह योजना ग्राम पंचायतों को अधिदेशित करती है कि वे निष्पादन अनुदान का पहला खर्च राज्य विद्युत बोर्ड और जलपूर्ति एवं जलनिकासी बोर्ड को उपभोग शुल्क के भुगतान के लिए करें।
- निष्पादन अनुदान योजना के मापदंडों का मूल्यांकन राज्य से प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) सिक्किम

- निष्पादन अनुदान योजना के मूल्यांकन मापदंडों को राज्य द्वारा निष्पादन अनुदान योजना की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया हैं।

(iv) पश्चिम बंगाल:

- योजना में पंचायती राज मंत्रालय की स्कीम में विनिर्दिष्ट मानदंड से परे वितरण मानदंड शामिल किए गए हैं।

- 60% व्यय, अनुदान पात्रता के मानदंडों में से एक है।
- निष्पादन अनुदान योजना के मापदंडों का मूल्यांकन राज्य से प्राप्त नहीं हुआ है।

7. समिति ने अनुशंसा की कि उपर्युक्त राज्यों को यह कहा जाए कि वे अपनी संबंधित योजनाओं में संशोधन करें और उन्हें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाई गई निष्पादन अनुदान योजना के अनुरूप बनाएं। राज्यों को संशोधित योजनाओं के साथ मूल्यांकन सारांश भेजने के लिए भी कहा जाए, जिसके आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने की सिफारिश जेएस (एफडी) की अध्यक्षता वाली अनुशंसा समिति द्वारा वित्त मंत्रालय को की जाए। **(कार्रवाई- संबंधित राज्य/एमओपीआर)**

8. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि जिन राज्यों ने अभी तक निष्पादन अनुदान योजनाओं की संबंधित अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें शीघ्र कार्रवाई के लिए अनुस्मारक भेजे जाएं और राज्यों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने की सिफारिश जेएस (एफडी) की अध्यक्षता वाली अनुशंसा समिति द्वारा इसी तर्ज पर की जाए। (**कार्रवाई-संबंधित राज्य/ पंचायती राज मंत्रालय)**

9. अन्य मुद्दे:

उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने में विलंब: समिति ने उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने में विलंब के साथ-साथ ग्राम पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण के बारे में विवरणों को नोट किया और सुझाव दिया कि राज्यों को भावी किस्तों के संबंध में इस तरह की देरी से बचने का सुझाव दिया जाए। (**कार्रवाई- पंचायती राज मंत्रालय/राज्य)**

एफएफसी डैशबोर्ड में क्षेत्र-वार व्यय का अद्यतनीकरण: समिति ने सुझाव दिया कि राज्यों को निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी को सक्षम करने के लिए डैशबोर्ड को नियमित रूप से अद्यतन करने की सुझाव दी जा सकती है। **(कार्रवाई- राज्य/ पंचायती राज मंत्रालय)**

आईपीएआई नियमावली: समिति ने सुझाव दिया कि जिन राज्यों ने अभी तक नियमावललियों का अनुमोदन नहीं किया है, उन्हें यथाशीघ्र अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए याद दिलाया जाए। **(कार्रवाई- राज्य/ पंचायती राज मंत्रालय)**

अध्यक्ष और प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के साथ बैठक संपन्न हुई।

******

अनुलग्नक –I

पंचायती राज मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष, नई दिल्ली में दिनांक 27.12.2017 को आयोजित समन्वय समिति की 5वीं बैठक

उपस्थिति की शीट

क्र. सं.	**नाम एवं पदनाम**	**कार्यालय/मंत्रालय**
1.	श्री जितेंद्र शंकर माथुर, सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
2.	श्री बाला प्रसाद, अपर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
3.	श्री संजीब कुमार पाटजोशी, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
4.	श्री खड़क सिंह पंचपाल, उप सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
5.	श्री आर. शिवकुमार, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
6.	श्री एन पी टोप्पो, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
7.	श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव	पंचायती राज विभाग, हरियाणा
8.	श्री बीरेंद्र भूषण, निदेशक	पंचायती राज विभाग, झारखण्ड
9.	श्री शमीम उद्दीन, निदेशक	पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश
10.	डॉ. नरेंद्र कुमार मीना, अपर विकास आयुक्त	पंचायती राज विभाग, गुजरात
11।	श्री सी. बालाजी, एसपीएमयू, आरजीएसए	सीपीआर एवं आरडी कार्यालय, आंध्र प्रदेश
12 .	श्री दीपक अनुराग, महानिदेशक	लेखा महानियंत्रक का कार्यालय
13.	श्री एस एन राव, एसोसिएट प्रोफेसर	एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद
14.	श्री सी. कैथीरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर	एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद
15.	श्री एम सी चाँद, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय
16 .	श्री ए. साह, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय
17.	श्री सुबोध गुर्जर, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय
18.	श्री मयंक खरबंदा, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय

*****